कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2658 /15–1 दिनांक, झांसी, जनवरी 11, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

विषयः– जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि0, झांसी द्वारा 200 MM Dia कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी–शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 27 के किमी0 सं0 86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी0) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं झांसी–ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 44 के किमी0 सं0 6.50 से 18.200 (कुल 11.700 किमी0) तक प्रभावित 0.351 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लाक में प्रभावित 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 0.636 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भः– अनु0 सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक पी–340 / 81–2–2022–800(339), दिनांक 28.10. 2022 मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1508 / 11सी / FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 28.10.2022 एवं 2254 / 11सी / FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 05.01.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के कम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 02 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति पत्रावली सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण / अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, आपत्तियॉ का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	उ0प्र0 शासन के बिन्दु सं0–6 के निराकरण के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे0 आरक्षित वनभूमि जिसका भू–स्वामित्व एन0एच0 है, जो कि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रकरण में 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन0एच0 दर्शाया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व एन0एच0 का नहीं हो सकता है। अतः वनभूमि की सही कानूनी स्थिति एवं भू–स्वामित्व अंकित करें।	विषयांकित प्रस्ताव में पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी जिसका भू–स्वामित्व एन0एच0 है एवं 0.06 हे0 आरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी, जिसका भू–स्वामित्व वन विभाग है।
2	उ0प्र0 शासन के बिन्दु सं0–8 के निराकरण के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्वता उपलब्ध करायी गयी है, किन्तु ऑनलाइन पार्ट–1 के A-1(x) में 99 वर्ष ही अंकित है। अतः ऑनलाइन पार्ट–1 के A-1(x) में 30 वर्ष फीड करें ।	ऑनलाइन पार्ट–1 के A-1(x) में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष फीड कर दिया है। ऑनलाइन पार्ट–1 की प्रति संलग्न है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 2658 /अ / समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी